Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र को हुआ 10 वर्ष का कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि **वर्ष 2002 में अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र निवासी ग्राम खरखड़ी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरूद्ध** थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 188/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.05.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा **अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice   baghpatpolice   Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 16.05.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0426/2024 धारा 414 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रमेश पुत्र रामपाल निवासी कुतुब विहार थाना छावला दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

- एक मो0सा0 हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट (सम्बन्धित थाना उत्तमनगर दिल्ली)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0यू0टी0 श्री आदित्य कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।